


Recommendation For The Project


राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार इटावा रेंज ,जनपद इटावा अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग रा०मा०सं०-92 के किमी०-74.700 से 77.950 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 5.345 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा चम्बल नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में प्रभावित होने वाली 5.345 हे० वनभूमि के बदले अन्य कोई विकल्प नहीं है ,तथा आवेदित 5.345 हे० वनभूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के क्रियान्वयन के कारण वन्य जीवों के पर्यावास (Habitat) एवं वन्य जीवों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः प्रकरण में वन्य जीव अनुमति हेतु जनहित में संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि वन्य जीवों की सुरक्षा को दृष्टिगत प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग इटावा द्वारा NBWL द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शमन के सभी उपायों (Mitigation measures) का अनुपालन किया जाय।

स्थान- आगरा

दिनांक-


(हरि किशोर शुक्ला)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी, इटावा रेंज
राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट
रेन्ज- इटावा (उ.प्र.)


(दिवाकर प्रसाद श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट,
उप उ०प्र० आगरा
राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट
उ०प्र०, आगरा